प्रशान्त कुमार,
आई0पी0एस0

डीजी परिपत्र सं0 -07 /2024

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।
पुलिस मुख्यालय, गोमती नगर विस्तार,
लखनऊ-226002
दिनांकः फरवरी08, 2024

विषयः प्रार्थना पत्र (अन्तर्गत धारा-482) संख्या-45646/2023 नेत्रपाल बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांकित 25.01.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

प्रिय महोदय/महोदया,

मा0 उच्च न्यायालय में POCSO Act एवं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अभियुक्तों द्वारा योजित होने वाले जमानत प्रार्थना पत्रों/अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्रों/रिट याचिकाओं तथा अपीलों आदि पर समयान्तर्गत Instructions उपलब्ध कराने तथा POCSO Act या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 से सम्बन्धित प्रकरणों में वांछित आख्या/Instructions के साथ वादी/पीड़िता को रिट याचिका की प्रति सहित नोटिस तामील कराते हुये, तामीला की सूचना शासकीय अधिवक्ता कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु इस मुख्यालय स्तर से पार्श्वांकित बॉक्स में अंकित डीजी परिपत्रों के माध्यम से निर्देश निर्गत किये गये हैं, परन्तु इस मुख्यालय स्तर से निर्गत परिपत्रों का कमिश्नरेट/जनपद स्तर पर कड़ाई से अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

डीजी परिपत्र सं0 -05/2024 दि0-19.01.2024
डीजी परिपत्र सं0 -43/2021 दि0- 01.12.2021
डीजी परिपत्र सं0 -39/2021 दि0-06.10.2021
डीजी परिपत्र सं0 -31/2021 दि0-28.08.2021
डीजी परिपत्र सं0 -10/2021 दि0-03.03.2021

प्रार्थना पत्र (अन्तर्गत धारा-482) संख्या-45646/2023 नेत्रपाल बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांकित 25.01.2024 में अधोहस्ताक्षरी को निम्नवत निर्देशित किया गया है –

> 9. Therefore, this court directs the Director General of Police, UP, Lucknow to issue necessary direction to all the police officials that whenever they receive any letter or intimation from the office of Government Advocate, High Court, Allahabad seeking instructions regarding the cases involving offence under the POCSO Act or SC/ST Act, then the concerned police officer before sending instructions to the High Court must intimate to the complainant/victim about the pendency of case before the High Court and there should be endorsement of complainant or victim regarding service of that notice or intimation, which should be forwarded to the office of Government Advocate, High Court, Allahabad along with instructions.

.....2

मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि पूर्व में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा क्रिमिनल मिस जमानत प्रार्थना पत्र संख्या:45784/2020 अजीत चौधरी बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित आदेश दिनांक 11.01.2021 तथा क्रिमिनल मिस बेल एप्लीकेशन संख्या-46998/2020 जुनैद बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांकित 09.07.2021 के अनुपालन में क्रमशः अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के मामलों में वादी/पीड़ित को रिट/नोटिस का तामीला कराने हेतु डीजी परिपत्र संख्या-10/2021 दिनांकित 03.03.2021 तथा POCSO Act के वादी/पीड़ित को रिट/नोटिस का तामीला कराने हेतु डीजी परिपत्र संख्या-31/2021 दिनांक 28.08.2021 तथा 39/2021 दिनांकित 06.10.2021 निर्गत किये गये हैं। इन परिपत्रों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के वादी/पीड़ित तथा POCSO Act के वादी/पीड़ित को रिट/नोटिस का तामीला ससमय सुनिश्चित कराते हुये तामीला रिपोर्ट निर्धारित समयसीमा के अन्तर्गत शासकीय अधिवक्ता कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु विस्तृत निर्देश एवं Timeline निर्धारित की गयी है ।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 तथा POCSO Act के अभियुक्तों द्वारा जमानत/रिट प्रस्तुत करने की दशा में नोटिस की सूचना वादी/पीड़ित को औपचारिक रूप से दिया जाना आज्ञापक है, अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 तथा POCSO Act के वादी/पीड़ित को जमानत प्रार्थनापत्र/रिट नोटिस मय रिट याचिका की प्रति उपलब्ध कराते हुये तामीला सुनिश्चित करें तथा तामीला रिपोर्ट पर तामीलाकर्ता, तामीला की तिथि, प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर एवं नाम पता अंकित करते हुये तामीला रिपोर्ट ससमय शासकीय अधिवक्ता कार्यालय, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद तथा खण्डपीठ लखनऊ को मा0 उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित समयसीमा में अवश्यवमेव उपलब्ध करा दी जाए। यदि इन निर्देशों के अनुपालन में शिथिलता का कोई प्रकरण संज्ञान में आता है, तो दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाए।

उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में अनिवार्य रूप से किया जाना है, अतः समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक का व्यक्तिगत ध्यान अपेक्षित है।

भवदीय,

(प्रशान्त कुमार)

1. समस्त पुलिस आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद, उत्तर प्रदेश।

<u>प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु</u> :—

1. अपर पुलिस महानिदेशक (रेलवेज), उ0प्र0, लखनऊ।
2. अपर पुलिस महानिदेशक (अभियोजन), उ0प्र0, लखनऊ।
3. अपर पुलिस महानिदेशक (अपराध), उ0प्र0, लखनऊ।
4. अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवाएं मुख्यालय, उ0प्र0, लखनऊ।
5. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
6. पुलिस महानिरीक्षक (कानून एवं व्यवस्था),उ0प्र0, लखनऊ।
7. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक / पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।